

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] No. 1] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2011/भ्रावण 21, 1933

[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 122

DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2011/SRAVANA 21, 1933

[N.C.T.D. No. 122

भाग—!!!

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2011

संख्या का. 11(500) दीईआरसी/2010-11/2208.—विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत इसमें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, 86 एवं 181 के साथ पठित धारा 50 में उल्लिखित उपबन्धों के और दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा 'दिल्ली विद्युत प्रदाय संक्रिता अनुपालन मानक विनियम, 2007, के विनियम 4(1)(ग) में निम्निलिखित संशोधन करते हैं:

- 1. इन विनियमों को 'दिल्ली विद्युत प्रदाय साँहिता और अनुपालन मानक (संशोधित) विनियम, 2011 कहा जा सकता है ।
- 2. ये अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।
- 3. खण्ड 4(1)(ग) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"उक्त विनियमों के विनियम 2(1) (यठ) में यथापरिभाषित वृतिकों द्वारा अपने वृतिक कार्य करने के लिए, जो कि परामर्श प्रकृति के हैं, अपने निवास स्थान पर प्रयोग की गई विद्युत की गैर घरेलू दरें दिए बिना घरेलू संयोजन का प्रयोग कर सकेंगे। शर्त यह है कि वृतिक गितिविधि चलाने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र दिल्ली महानगर योजना-2021 (एम.पी.डी. 2021) के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में ऐसी गितिविधि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनुमत क्षेत्र से अधिक न बैठता हो, जो दिल्ली महानगर योजना-2011 के अनुसार हम भूखण्ड/आवासीय इकाई के किसी भी एक तल पर अनुमत है लेकिन अनुमत या स्वीकृत एफ.ए.आर. के 50% से कम तक सीमित है, जो कम हो।"

सुनीता यादव, संचित

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTEFICATION

Delhi, the 12th August, 2011

No. r. 11(500)/DERC/2010-11/2208.—In exercise of the power conferd on it under the Electricity Act, 2003 and in pursuance to the provisions contained in Section 50 read with Section 57, 86 and 181 Electricity Act, 2003 and also power conferred to it under Section 61 of the Delhi Electricity Reforms Act, 2000, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the Regulation 4(i)(c) of the "Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations, 2007":

- 1. These regulations may be called "Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Amendment) Regulations, 2011".
- 2. These shall come in force from the date of its publication.
- 3. "The Existing provisions of Clause 4(i)(c) shall be substituted by the following amended clause:

"Professionals as defined in Regulation 2(i)(zl) of the above Regulations may utilize the domestic connection at their residence, for carrying out their professional work in the nature of consultancy without attracting non-domestic tariff for the electricity consumed, provided the area used for professional activity does not exceed the area permitted to be used for such activity in residential area under the Master Plan for Delhi, 2021 (MPD 2021), which as per MPD 2021 is permissible on any one floor only but restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less on that plot/dwelling unit".

SUNITA YADAV, Secy.